

(GI-1, GI-2+4, GI-3, GI-5+6 & VDI-1, VI-1, SI-1)

DATE: 04.07.2020

MAXIMUM MARKS: 100

TIMING: 3¼ Hours

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.

Question No. 1& 2 is compulsory.

Candidates are also required to answer any four questions from the remaining Five Questions.

Answer 1:

- | | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 1. | Ans. c | } | {1 M Each} |
| 2. | Ans. c | | |
| 3. | Ans. c | | |
| 4. | Ans. d | | |
| 5. | Ans. a | | |
| 6. | Ans. a | | |
| 7. | Ans. b | | |
| 8. | Ans. d | | |
| 9. | Ans. c | | |
| 10. | Ans. c | | |
| 11. | Ans. c | | |
| 12. | Ans. d | | |
| 13. | Ans. a | } | {2 M Each} |
| 14. | Ans. b | | |
| 15. | Ans. c | | |
| 16. | Ans. b | | |
| 17. | Ans. b | | |
| 18. | Ans. a | | |
| 19. | Ans. b | | |
| 20. | Ans. a | | |
| 21. | Ans. d | | |

Answer 2:

- (a) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 16 के अनुसार यदि एक कम्पनी ऐसे नाम से पंजीकृत हो जाती है –
- (a) जो केन्द्र सरकार के अनुसार पहले से पंजीकृत किसी कम्पनी के नाम के समान है अथवा मिलता झुलता है तो केन्द्र सरकार कम्पनी को नाम परिवर्तन करने का आदेश दे सकती है। तत्पश्चात कम्पनी को साधारण प्रस्ताव पारित करके तीन महीनों के दौरान अपना नाम परिवर्तन करना होगा।
- (b) केन्द्र सरकार को लगता है कि कम्पनी का नाम पहले से पंजीकृत किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के समान है या मिलता झुलता है तो उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का मालिक कम्पनी के निगमन के तीन

- वर्ष के भीतर केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार कम्पनी को नाम परिवर्तन करने का आदेश दे सकती है। ऐसी दशा में कम्पनी को आदेश पारित होने के छः माह के भीतर साधारण प्रस्ताव पारित करके अपना नाम परिवर्तित करना होगा।
- कम्पनी को केन्द्र सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद नाम परिवर्तन करने के 15 दिनों के भीतर आर.ओ.सी. को सूचित करना पड़ेगा। यदि त्रुटि होती है तो कम्पनी तथा दोषी अधिकारी पर पेनेल्टी लागू होगी। यहा पर ट्रेडमार्क के मालिक ने कम्पनी निगमन के पांच वर्ष पश्चात आवेदन किया है और प्रश्न चिन्ह उठाया है जबकि उसे तीन वर्ष के दौरान यह कार्य करना चाहिए था। इसलिए कम्पनी को अपना नाम परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। {2 M}
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुसार कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित करके और केन्द्र सरकार की सहमति लेकर कभी भी अपना नाम परिवर्तन कर सकती है। इसलिए यदि उस पंजीकृत ट्रेडमार्क का मालिक कम्पनी को आवेदन करता है तो कम्पनी धारा 13 के प्रावधान का पालन करके स्वेच्छा से नाम परिवर्तित कर सकती है। {1 M}

Answer:

- (b) निक्षेपी के कर्तव्य व दायित्व (Bailee's Duties and Liabilities) - पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 163(4) के प्रावधानों पर आधारित है। इस धारा के अनुसार विपरीत अनुबन्ध न होने की दशा में, निक्षेपी निक्षेपक की निक्षेपित माल में हुई वृद्धि अथवा लाभ वापस करने के लिए दायी है। दी गई समस्या में उक्त प्रावधानों के अनुसार बोनस अंश, B द्वारा M के पास निक्षेप किये गये अंशों में वृद्धि के समान है। इसलिए M अंशों के साथ-साथ बोनस अंश भी वापस करने के लिए दायी है। अतः निक्षेपक को उन अंशों को वापस पाने का अधिकार है। (मोतीलाल बनाम बाई मनी) {3 M}

Answer:

- (c) हाँ धारा 34 एवं धारा 35 के अन्तर्गत निदेशक प्रविवरण में मिथ्याकथन के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं धारा 34 उस व्यक्ति को आपराधिक सजा देती है जिसने प्रविवरण के निर्गमन को अधिकृत किया है धारा 35 के अनुसार कम्पनी के निदेशक पर प्रविवरण में मिथ्याकथन के लिए सजा का प्रावधान है। इसलिए, वर्तमान मामलें में, निदेशक इस बहाने के पीछे छिपा नहीं सकते कि उन्होंने प्रविवरण में सही वक्तव्य देने के लिए प्रवर्तकों पर भरोसा किया। {3 M}

Answer 3:

- (a) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 58 के अनुसार कम्पनी ने मनाही का नोटिस नहीं भेजकर गलत कार्य किया है। कम्पनी अधिनियम धारा 58(4) के अनुसार यदि कोई भी सार्वजनिक कम्पनी हस्तांतरण विलेख जमा होने के 30 दिन के भीतर यदि मनाही का नोटिस हस्तांतरिती को भेजती है तो हस्तांतरिती नोटिस मिलने के 60 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर सकता है। और यदि उसे कोई मनाही का नोटिस प्राप्त नहीं होता है। तो हस्तांतरण विलेख जमा कराने के 90 दिनों के भीतर वह ट्रिब्यूनल को अपील दाखिल कर सकता है। {2 M}
- ट्रिब्यूनल के पास यदि आवेदन आता है तो दोनों पक्षकारों के सुनने के पश्चात ट्रिब्यूनल आवेदन को रद्द भी कर सकती है और यह आदेश दे कती है कि –
- (a) कम्पनी को 10 दिनों के भीतर इस हस्तांतरण को पंजीकृत करना होगा तथा
- (b) कम्पनी को सदस्यों के रजिस्टर में परिवर्तन करने का तथा संशोधन करने का आदेश दे सकती है और कम्पनी को यह भी आदेश दे सकती है कि पीडित पक्षकार को हुई हानी का भुगतान करे। {2 M}
- अतः मुक्ता ट्रिब्यूनल को अपली दायर कर सकती है और उसको हुई क्षतिपूर्ति का हर्जाना मांग सकती है। {1 M}

Answer:

- (b) पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 130, जो सतत प्रत्याभूति के खण्डन से सम्बन्धित है, पर आधारित है। ऐसी प्रत्याभूति का खण्डन निम्नलिखित दो दशओं में किया जा सकता है:
- (i) **सूचना देकर (By Notice)** : एक सतत प्रत्याभूति भविष्य के व्यवहारों के लिए प्रतिभू द्वारा मुख्य ऋणदाता को सूचना देकर रद्द की जा सकती है। {2 M}

- (ii) **प्रतिभू की मृत्यु द्वारा (By death of surety):** यदि प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा दी गयी गारंटी भविष्य के लेनदेनों के लिये समाप्त हो जाती है। (धारा 131)
परन्तु प्रतिभू पूर्व में किये गये व्यवहारों के लिये उत्तरदायी बना रहता है। } {1 M}
उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर A बाद में B दिए गए ऋणों के लिए C के प्रति उत्तरदायी नहीं है। } {1 M}
दूसरे मामले में उत्तर इससे अलग होगा अर्थात् A, C के प्रति रु 5,000 जो खण्डन की सूचना से पहले दिये जा चुके थे, C के लिए उत्तरदायी होगा। } {1 M}

Answer:

- (c) (1) निक्षेपों को स्वीकार करने वाली प्रत्येक कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय में स्वीकृत या नवीनीकृत निक्षेपों के लिए एक या एक से अधिक रजिस्ट्रों को बनायेगी, जिसमें प्रत्येक निक्षेपकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग-अलग दर्ज किए जायेंगे, अर्थात्:
- (a) निक्षेपकर्ताओं के नाम, पता और पैन,
(b) एक नाबालिक के मामलों में, अभिभावक के विवरण,
(c) नामांकित व्यक्ति के विवरण,
(d) निक्षेप रसीद संख्या,
(e) प्रत्येक निक्षेप की तिथि और राशि
(f) जमा की अवधि और तिथि जिस पर प्रत्येक निक्षेप प्रतिदेय है;
(g) निक्षेपकर्ता को देय ब्याज दर या ऐसे निक्षेप;
(h) ब्याज के भुगतान के लिए देय तिथि
(i) ब्याज के भुगतान के लिए और कर की गैर-कटौती के लिए, यदि कोई हो, अधिदेश और निर्देश,
(j) तिथि या तिथियों जिस पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा;
(k) निक्षेप बीमा की सीमा सहित निक्षेप बीमा का विवरण
(l) निक्षेपों के पुनर्निर्माण के लिए जमानत या प्रभार का विवरण,
(m) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण, } {2 M}
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रविष्टियां कम्पनी के निदेशक या सचिव द्वारा या इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित रसीद जारी करने के सात दिन के भीतर की जायेगी। } {1 M}
- (3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर को वित्तीय वर्ष से जिसमें रजिस्टर में नवीनतम प्रविष्टि की गई है कम-से-कम आठ वर्ष की अवधि के लिए अच्छे ढंग में संरक्षित किया जायेगा। } {1 M}

Answer 4:

- (a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (55) 'सदस्य' को परिभाषित करती है। किसी कम्पनी के संबंध में सदस्य का आशय है—
- (i) **सीमानियम का अभिदानकर्ता** जो कम्पनी का सदस्य बनने के लिए सहमत हुआ है और पंजीकरण पश्चात उसका नाम सदस्य के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जायेगा, } {2 M}
- (ii) **प्रत्येक अन्य व्यक्ति** जिसमें लिखित रूप में कम्पनी का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति दी हुई है, और जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, } {2 M}
- (iii) **कम्पनी के अंशों का प्रत्येक धारक** और जिसका नाम डिपोजिटरी के रिकॉर्ड में हितधारी स्वामी के रूप में प्रविष्ट है। } {1 M}

Answer:

- (b) वचन पत्र विलेख होता है (बैंक नोट या मुद्रा नहीं) जो कि लिखित रूप में होता है और वह बिना किसी शर्त के होता है और वचनपत्र कार्य द्वारा स्व हस्ताक्षरित होता है और उसमें निर्देश होता है केवल उस वचन-पत्र के धारक को लिखित राशि का भुगतान किया जाए या किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान किया जाए या विलेख के धारक को भुगतान किया जाता है (परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 4 के) } {2 M}

अनुसार) उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जो कि इस अधिनियम में दिए गए हैं, वचन-पत्र के आवश्यक तत्व निम्न होते हैं:

1. वचन-पत्र लिखित रूप में होना चाहिए।
2. भुगतान का वचन बिना किसी शर्त के होना चाहिए।
3. वचन की गई राशि निश्चित होनी चाहिए।
4. वचन-पत्र वचन-पत्र जारीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
5. वह व्यक्ति जिससे वचन किया जा रहा हो, वह कोई निश्चित होना चाहिए।

इस प्रकार

- (i) पहले केस में वचन-पत्र वैध नहीं हैं, क्योंकि राशि निश्चित नहीं हैं। } {1 M}
- (ii) दूसरे केस में वचन-पत्र वैध नहीं है, क्योंकि यह सशर्त है } {1 M}
- (iii) तीसरे केस में वचन-पत्र वैध हैं, क्योंकि A की मृत्यु निश्चित है यद्यपि मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। } {1 M}

Answer:

- (c) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 109 के अनुसार मतदान प्रक्रिया मांग से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम है—
- (a) एक ऐसी कम्पनी जिसमें अंश पूंजी है उस कम्पनी में वे सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित हैं उनके प्रोक्सी और दोनों के पास मिलाकर कुल मताधिकार का 10 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग अधिकार है अथवा 5 लाख रुपये या उससे अधिक अंश पूंजी है, वे मतदान प्रक्रिया द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं। } {2 M}
- (b) जिन कम्पनीयों में अंश पूंजी नहीं है। उन कम्पनीयों में सदस्य तथा उनके प्रोक्सी जिनके पास कुल मताधिकार का कम से कम 10 प्रतिशत मताधिकार है, वे मतदान प्रक्रिया द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया के द्वारा मतदान की मांग की है वे कभी भी अपनी मांग को वापस ले सकते हैं। अतः कम्पनी 2013 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर इस प्रकार है—
- (a) कम्पनी के अध्यक्ष ने जो सदस्यों की मांग निरस्त की है वह गलत है।
- (b) कम्पनी की सभा का चैयरमेन उन सदस्यों की मांग को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता था और यह भी चैयरमेन ने गलत किया है। } {2 M}

Answer 5:

- (a) यदि प्रभार 2 नवम्बर 2018 के पश्चात उत्पन्न किया गया है तो प्रभार उत्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर प्रभार का पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास करवाया जाना चाहिए। } {1 M}
- यदि प्रभार उत्पन्न होने के 30 दिनों के अन्दर प्रभार का पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास नहीं करवाया जाता है तो रजिस्ट्रार इस अवधि को प्रभार उत्पन्न होने की तिथि से लेकर 60 दिनों तक बढ़ा सकता है। अतः यदि कम्पनी को 2 मई को यह महसूस होता है। तो वह आरओसी को यह आवेदन दे सकती है और आरओसी को उचित लगता है तो वह इस समयावधि को प्रभार उत्पन्न होने की तिथि से 60 दिन तक बढ़ा सकता है। और कम्पनी इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुये प्रभार का पंजीकरण करवा सकती है। } {2 M}
- यदि प्रभार का पंजीकरण नहीं हुआ है यह बात कम्पनी को 7 जून 2019 को महसूस होती है। तो आरओसी प्रभार उत्पन्न होने की तिथि से लेकर 60 दिन व्यतित हो भी जाये तो भी इस अवधि को अगले 60 दिन तक ओर बढ़ा सकता है लेकिन इसके लिए कम्पनी को मूल्य वर्धित कर देना पड़ेगा। अतः इस केस में कम्पनी यदि मूल्य वर्धित कर दे देती है और आरओसी को आवेदन कर दिया जाता है और आर. ओ.सी. को सही लगता है तो आरओसी 60 दिन ओर इस अवधि को बढ़ा सकता है। } {2 M}

Answer:

- (b) भोलेनाथ ने सुरेन्द्र को चेक जारी किया और कहा है कि वह चेक को प्रस्तुत ना करे, और बैंक को भी कहा कि सुरेन्द्र को दिये गये चेक का भुगतान ना करे। } {2 M}

पराक्रम्य में विलेख अधिनियम 1881 की धारा 138 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और उसके बाद में बैंक को कहता है कि उस चेक का भुगतान ना करें तो पराक्रम्य में विलेख अधिनियम 1881 की धारा 138 के अनुसार उसके द्वारा अपराध किया हुआ माना जायेगा। एक बार कोई व्यक्ति चेक जारी कर देता है तो वह बैंक को फिर आदेश देता है कि भुगतान रोक दिया जाये तो इसका मतलब यह नहीं कि धारा 138 के दायित्व से मुक्त हो जायेगा। एक व्यक्ति धारा 140 के तहत यह भी नहीं कह सकता कि उसको पता नहीं था कि यदि चेक बैंक में प्रस्तुत होगा तो वह बैंक में अनादरित हो जायेगा। अतः हम कह सकते हैं कि भोलेनाथ ने बैंक को भुगतान रोकने के लिये जो आवेदन किया है वह पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार एक अपराध है।

Answer:

- (c) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार एक कम्पनी को प्रथम वार्षिक साधारण सभा अपना प्रथम वित्त वर्ष समाप्ति के 9 माह के भीतर आयोजित करनी पड़ेगी। पहले केस में इन्फोटेक लिमिटेड का वित्त वर्ष 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है इसलिये उसको अपनी प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 31 दिसम्बर 2017 को या उससे पहले कर लेना चाहिये था। कम्पनी का रजिस्ट्रार विशेष कारणों से वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के समय सीमा को बढ़ा सकता है, परन्तु वह प्रथम वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की समय सीमा को नहीं बढ़ा सकता है। अन्य वार्षिक साधारण सभा की समय सीमा को वो तीन महीने से बढ़ा सकता है। अतः हम कह सकते हैं इन्फोटेक लिमिटेड को अपनी वार्षिक साधारण सभा को 31 दिसम्बर 2017 को इससे पहले कर लेना चाहिये था तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास समय सीमा को बढ़ाने का इस संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा।

Answer 6:

- (a) उपरोक्त केस में श्रिपा शुगर मील्ल्स लिमिटेड ने वर्ष 31 मार्च 2019 को जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है, उसमें लाभ नहीं कमाये हैं, परन्तु फिर भी वह अपने पुराने कमायें हुए लाभों में से 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देना चाहती है। कम्पनी यह लाभांश दे सकती है, परन्तु निम्नलिखित शर्तें कम्पनी को पूरा करनी होंगी:-
- कम्पनी प्रदत्त अंश पूंजी तथा फ्री रिजर्व के योग के 10 प्रतिशत से अधिक पैसा लाभांश भुगतान के लिये अपने फ्री रिजर्व से नहीं निकाल सकती है।
 - जो पैसा कम्पनी निकालेगी उसे सर्वप्रथम कम्पनी को वर्तमान वित्त वर्ष में हुई हानियों को अपलिखित करने में प्रयोग करना पड़ेगा।
 - फ्री रिजर्व से राशि निकालने के पश्चात् फ्री रिजर्व का बैलेन्स प्रदत्त अंश पूंजी के योग के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- यदि कम्पनी का निदेशक मण्डल यह कार्य कर देता है तो कम्पनी फिर इस दर से लाभांश दे सकती है।

Answer:

- (b) सामान्य वर्ग अधिनियम 1897 की धारा 9 के अनुसार यदि समय की गणना की जाती है तो प्रथम दिन को उस समय की गणना से बाहर रखा जायेगा और अंतिम दिन को दिनों की गणना में शामिल किया जायेगा।
- (1) **लाभांश का भुगतान** : उपरोक्त केस में यदि कोमल लिमिटेड ने 27 सितम्बर 2018 को वार्षिक साधारण सभा में लाभांश घोषित किया है, तो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 127 के अनुसार उसे तीस दिन के अंदर लाभांश का भुगतान करना चाहिये अर्थात् 28 सितम्बर 2018 से लेकर 27 अक्टूबर 2018 तक अर्थात् 30 दिनों के अंदर उसे लाभांश का भुगतान करना चाहिये। 27 अक्टूबर 2018 को दिनों की गणना में शामिल किया जायेगा, परन्तु 27 सितम्बर 2018 को दिनों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (2) **असंदत्त लाभांश खाते में लाभांश का हस्तांतरण** : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के अनुसार यदि कम्पनी ने लाभांश घोषित होने के 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान नहीं किया या किसी व्यक्ति ने 30 दिनों के भीतर उस लाभांश का दावा नहीं किया तो उस 30 दिन की

समाप्ति के अगले 7 दिनों में कम्पनी को वह राशि असंदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित करनी होगी।
 अतः हम कह सकते हैं कोमल लिमिटेड को 28 अक्टूबर 2018 से लेकर 3 नवम्बर 2018 तक वह राशि असंदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित करनी होगी।

Answer:

- (c) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार एक कम्पनी जो धारा 8 में पंजीकृत है अर्थात् लाभार्थ कार्यों वाली कम्पनी नहीं अपितु धर्मार्थ कार्यों वाली कम्पनी वह कभी भी अपने सदस्यों को लाभांश नहीं बांट सकती। उसके लाभों का प्रयोग केवल उसके उद्देश्यों को बढ़ावे में ही प्रयोग हो सकता है।
 उपरोक्त दशा में अल्फा हर्बलस धारा 8 में पंजीकृत कम्पनी है और वह कभी भी कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है।

Answer 7:

- (a) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 137 के अनुसार निम्नलिखित कम्पनियों को XBRL मोड में वित्तीय विवरण दाखिल करने जरूरी होते हैं।
- (1) एक कम्पनी जो कि सूचीबद्ध कम्पनी है तथा उसकी सहायक कम्पनियाँ।
 - (2) एक कम्पनी जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी 5 करोड़ रुपये अथवा उससे ज्यादा है।
 - (3) एक कम्पनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ अथवा उससे ज्यादा है।
 - (4) वे सभी कम्पनियाँ जिन्हें कम्पनी नियम 2015 के अनुसार वित्तीय विवरण इस प्रारूप में दाखिल करने जरूरी है।
- गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी तथा गृह वित्त कम्पनियाँ तथा बैंकिंग कम्पनियाँ तथा इंश्योरेन्स कम्पनियाँ इस प्रारूप में वित्तीय विवरण दाखिल करने से मुक्त है।
 इसलिये ए हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड एक गृह वित्त कम्पनी है इसलिये उसे इस XBRL प्रारूप में वित्तीय विवरण दाखिल करने जरूरी नहीं है।

Answer:

- (b) विलेखों और दस्तावेजों की व्याख्या के संबंध में नियम निम्नानुसार है :
- सबसे पहले और सबसे इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है कि किसी को मालूम करना चाहिए कि एक उचित व्यक्ति, जिसने खुद को किसी विलेख या दस्तावेज के आस-पास की परिस्थितियों, और इसके दायरे और इरादों के बारे में सूचित किया है, उस विलेख या दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों से समझें। दूसरे की शर्तों के संदर्भ में एक विलेख के नियमों को निरूपित करने में असमर्थ है। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक ही शब्द के एक ही दस्तावेजों में दो अलग-अलग अर्थ नहीं हो सकते हैं, जब तक कि संदर्भ इस तरह के नियम को अपनाने के लिए मजबूर न करें।
- सुनहरा नियम है अपने सामान्य प्राकृतिक अर्थों में संबंधित दस्तावेजों, विलेख में सभी शब्दों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों के इरादे का पता लगाना है। इस प्रयोजन के लिए, दस्तावेज के प्रासंगिक भाग को पूर्ण माना जाना चाहिए। जिन परिस्थितियों में विशेष शब्दों को उपयोग किया गया है उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई बार, शब्दों का इस्तोमल करते हुए पार्टियों की स्थिति और प्रशिक्षण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में और एक प्रशिक्षित व्यक्ति या विशेषज्ञ द्वारा दूसरे शब्दों में और एक विशेष अर्थ में समान शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि बहुत से शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द एक अर्थ में समझा जाता है, जो किसी दूसरे अर्थ में लेते समय विलेख में सभ अनुच्छेदों को प्रभावित करेगा, एक या अधिक अनुच्छेदों को अप्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में शब्द को पूर्व में समझा जाना चाहिए और बाद के शब्दों में नहीं।
- ऐसा भी हो सकता है कि उसी दस्तावेजों के दो या अधिक अनुच्छेदों के बीच संघर्ष हो। खंडों की व्याख्या करके संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सभी अनुच्छेदों को प्रभावी किया जा सके। अगर, हालांकि, उन सभी को प्रभावित करना संभव नहीं है, तो यह पहला अनुच्छेद है, जो बाद के उत्तरार्द्ध को अधिरोहण करेगा।

Answer:

- (c) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3)(सी) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के अधिकारी अथवा कर्मचारी का साझेदार है अथवा कर्मचारी है, वह कम्पनी का अंकेक्षक नहीं बन सकता है। यदि ऐसा होता है तो कोई अंकेक्षक जो अंकेक्षक बन चुका है उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
- निष्कर्ष :** उपरोक्त केस में आयूष जो कि एक्स लिमिटेड का अंकेक्षक है उसने कम्पनी के किसी वित्त अधिकारी के साथ साझेदारी की है। अतः आयूष कम्पनी के अंकेक्षक के पद पर बना नहीं रह सकता है।

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3)(डी)(i) के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति कम्पनी में अथवा कम्पनी की सहायक कम्पनी में अथवा सहयोगी में किसी प्रकार की प्रतिभूतियां धारण करता है तो वह कम्पनी का अंकेक्षक नहीं बन सकता।
- यहां पर मि. अभि अभिमान लिमिटेड में 1000 रुपये की प्रतिभूतियां धारण कर रहा है, अतः वह अभिमान लिमिटेड का अंकेक्षक नहीं बन सकता है।
